ISSN: 2393-8900 IMPACT FACTOR : 1.9152(UIF) VOLUME - 4 | ISSUE - 10 | JUNE - 2018

HISTORICITY RESEARCH JOURNAL

# बौद्ध धर्म में स्त्री–पुरूष को समानता के अधिकार

डॉ. रेनू चौहान
असिस्टेन्ट प्रोफेसर , एस.बी.डी. (पी.जी.) कॉलेज,
धामपुर बिजनौर।

**प्रस्तावना -**

बौद्ध धर्म भारत की श्रमण परम्परा से निकला धर्म और दर्शन। इसके प्रस्थापक महात्मा बुद्ध शाक्य मुनि (गौतम बुद्ध) थे। वे 563 ईसा पूर्व से 483 ईसा पूर्व तक रहे। ईसाई और इस्लाम धर्म के से पहले बौद्ध धर्म की उत्पत्ति हुई थी। दोनों धर्म के बाद यह दुनिया का तीसरा बड़ा धर्म है। इस धर्म को मानने वाले ज्यादातर चीन, जापान, कोरिया, थाईलैंड, कम्बोडिया, श्रीलंका,नेपाल भूटान और भारत जैसे कई देशों में रहें।

बुद्ध भगवान ने यद्यपि स्त्रियों को अपने संघ में स्थान दिया था और पुरूषों की भांति स्त्रियॉ भी भिक्षुणी बन सकती थी। परन्तु बौद्ध सम्प्रदाय का मूल सिद्धांत स्त्रियों को पुरूषों से दूर रखना ही था। क्योंकि बौद्ध धर्म में त्याग और वैराग्य का स्थान मुख्य है, भोग का नही। बुद्ध ने स्त्रियों की निंदा तो नही की परन्तु बराबर यह सलाह दी कि स्त्रियों के खतरे से बचें रहे। उनके विचारानुसार आदर्श जीवन वह है जो स्त्रियों से अलग रहकर और संभव हो तो किसी भी दशा में उनसे न मिलकर व्यतीत किया जाए।

बुद्ध ने कहाँ – "उन्हें देखो मत आनन्द।"
आनन्द ने कहा – "परन्तु उन्हें देखना पड़े तब।।"
बुद्ध – "तो बहुत सावधान रहो।"

फिर भी बुद्ध ने अपने साधारण अनुयायियों और गृहस्थों के प्रति यही उपदेश किया था कि जहाँ तक हो सके अपनी स्त्रियों को मित्र समझो ओर उन पर विश्वास रखो। साधारण भवन्तों को उन्होने यह उपदेश दिया कि माता पिता की सेवा, पत्नी और बच्चों का सहवास तथा शान्तिपूर्ण उद्योग ही सबसे बड़ा आशीर्वाद है।

जिस काल में बुद्ध ने धर्म का प्रचार किया था उस काल में स्त्री जाति की स्थिति बहुत शोचनीय हो गई थी। यह बुद्ध का ही साहस था कि उसने कहा – "निर्वाण की प्राप्ति ने केवल बाह्मण्ड को हो सकती है वरन् मनुष्य मात्र को हो सकती है, और स्त्रियों को भी हो सकती है" यह वही समय था जब "स्त्री शुद्रों नाधीयताम" की आवाज सर्वत्र गुँज रही थी और स्त्रियों का समाज में कोई स्थान ही नही था।

**महिलाओं के प्रति भगवान बुद्ध का यह वक्तव्य भी कई भ्रान्तियों को जन्म देता है** : उन्होने अपने शिष्य आनन्द से कहा "पर अब जब स्त्रियों का संघ में प्रवेश हो गया है, आनन्द ! धर्म चिरस्थायी नहीं रह सकेगा। जिस प्रकार ऐसे घरों में जिनमें अधिक स्त्रियाँ और कम पुरूष होते हैं, चोरी विशेष रूप से होती है, कुछ इसी प्रकार की अवस्था उस सूत्र और विनय की समझनी चाहिए जिसमें स्त्रियाँ घर का परित्याग करके गृह विहीन जीवन में प्रवेश करने लग जाती है। धर्म चिरस्थायी नहीं रह सकेगा ..... फिर भी आनन्द! मनुष्य जैसे भविष्य को छोड़कर जलाशय के लिए बाँध बनवा देता है। जिससे जल बाहर न बहने लगे, उसी प्रकार आनन्द भावी (भविष्य) के लिए मैंने आठ नियम बना दिये है, जिनका पालन भिक्षुणियों के लिए अनिवार्य है, जबतक धर्म है, उन नियमों के पालन में प्रमाद नही होना चाहिए।"

**बुद्ध** के प्रिये शिष्य आनन्द बौद्ध संघ में स्त्रियों के प्रवेश के प्रबल समर्थक थे। बौद्ध ग्रंथों में वर्णित तथ्यों से यह तो स्पष्ट हो जाता है कि बुद्ध ने आनन्द के कहने पर संघ में स्त्रियों के प्रवेश को स्वीकार किया। लेकिन ऐसा लगता है कि बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद आनन्द, संघ में महिलाओ के प्रवेश देने के मुद्दे पर अलग–थलग पड़ गये। राजगृह में आयोजित प्रथम बौद्ध संगति में आनन्द की सिर्फ इसलिए आलोचना की गई कि उन्होने संघ में स्त्रियों के प्रवेश का समर्थन किया था। इस प्रसंग से यह तथ्य उभरकर सामने आता है कि – अधिकांश बौद्ध, संघ में स्त्रियों के प्रवेश और उन्हें समान दर्जा दिए जाने को स्वीकार करने के लिए तैयार नही थे। ये बातें बौद्ध धर्म में पुरूषवादी दृष्टिकोण को ही प्रदर्शित करती हैं।

**बुद्ध** द्वारा ज्ञान की प्राप्ति के लिए अपनी पत्नी यशोधरा का परित्याग करना भी एक विचारणीय प्रश्न है।

**बुद्ध** का दृष्टिकोण महिलाओं के प्रति सम्मानजनक, सकारात्मक और क्रांतिकारी था। बुद्ध ने महिलाओं को ज्ञानी, मातृत्वशील, सृजनात्मक, भद्र और सहिष्णु के रूप में स्वीकार किया है। उन्होने भिक्षुणी संघ की स्थापना करके महिलाओं की मुक्ति के लिए नये मार्गो को खोला। महिलाओं के लिए यह सामाजिक और आध्यात्मिक उन्नति आलोच्य अवधि में समय से काफी आगे और क्रांतिकारी थी। बहुत सी महिलाओं ने बुद्ध के इस दृष्टिकोण का लाभ उठाया। बुद्ध की शिष्याओं में कुछ साधारण शिष्याएँ ही बनी रहीं तो कुछ भिक्षुणी बनीं तथा उन्होने सांसारिक मोहमाया का परित्याग कर दिया। बुद्ध ने पुरूषों और महिलाओं को एक एकीकृत व्यक्तित्व को पूरक पहलुओं के तौर पर करूणा ओर बुद्धि के रूप में देखा था। **बुद्ध और प्रारंभिक बोद्ध** साहित्य का दृष्टिकोण यह था कि महिलायें अर्हत् बन सकती है। कालान्तर में कई महिलाओं ने अर्हत् का पद प्राप्त भी किया। त्रिपिटक जिसकी रचना तीसरी बौद्ध संगति (पाटलीपुत्र) में की गई, में कई ऐसी महिलाओं का उल्लेख मिलता है जिन्होनें अर्हत् का पद प्राप्त किया। उदाहरण के लिए मगध के राजा की पत्नी क्षेमा (खेमा) जिन्होने गृहस्थ जीवन त्यागने के पहले ही पूर्णतः बुद्धत्व को प्राप्त कर लिया था। खेमा को बौद्ध धर्म के प्रति काफी गहरा ज्ञान था। यही कारण था कि बुद्ध इनके प्रति उच्च श्रद्धाभाव रखते थे। इसी प्रकार सोणा और पाटचारा जैसी महिलायें बौद्ध धर्म के संबंध में की जाने वाली प्रवचन के लिए जानी जाती थीं। कुछ भिक्षुणियों का अपना शिष्य समुदाय भी था। ये भिक्षुणियाँ न केवल धार्मिक प्रवचन करती थीं बल्कि वे बुद्ध या अन्य ज्ञानी भिक्षुओं के बिना भी अपने अनुचरों को सम्पूर्ण मुक्ति तक पहुँचाने का सामर्थ्य रखती थीं। चूठ्वेदल्ल संयुक्त में वर्णित धम्मदिन्ना की कथा इसी बात को स्पष्ट करती है इसमें धम्मादिन्ना अपने पूर्व पति विशाख (स्वयं बौद्ध धमानुयायी था) द्वारा पूछे गए प्रश्नों (सिद्धान्त और व्यवहार) का उत्तर देती है। कथा के अनुसार बाद में विशाख इन उत्तरों से बुद्ध को परिचित कराता है। बुद्ध इन उत्तरों से काफी प्रभावित होते है। और कहते है कि वे भी धम्मदिन्ना की ही तरह उत्तर देते।" यह प्रसंग भी इस बात का प्रमाण है कि प्रारंभिक बौद्ध युग में महिलाओं का बौद्ध धर्म में काफी सम्मानीय स्थान था और वे साधिकाओं ओर शिक्षिकाओं के रूप में प्रतिष्ठित थी। इस सन्दर्भ में एक अन्य दृष्टांत का उल्लेख करना प्रासंगिक होगा। जब राजा उदयन (उदेन) की 500 पत्नियाँ अग्नि में जलकर मृत्यु को प्राप्त हुई (इसमें प्रसिद्ध रानी सामावती भी थी) तो इस घटना पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए बुद्ध ने कहा था – भिक्षुओं, इनमें से कुछ महिला अनुयायी प्रवाह विजेता थीं, कुछ एक बार लौटनेवाली और कुछ कभी भी न लौटनेवाली है।"

बुद्ध के इस कथन की जब हम व्याख्या करते हैं तो यह तथ्य उभरकर सामने आता है कि वे यह मानते थे कि महिलायें मुक्ति मार्ग के विभिन्न चरणों को प्राप्त करने में पूर्णतः सक्षम हैं, जिसके माध्यम से अर्हत् का पद प्राप्त किया जाता है। इस प्रकार प्रारंभिक बौद्ध धर्म (बुद्ध) के अनुसार जाति की तरह लिंग भी व्यक्ति के मुक्ति

के मार्ग में किसी भी प्रकार से बाधक नहीं बन सकता है। अतः बौद्ध धर्म के अनुसार महिलायें भी पुरूषों की तरह मोक्ष प्राप्त कर सकती है। इस बात का समर्थन करते हुए हार्न (I.B. HORNE) ने लिखा है कि – बुद्ध ने महिलाओं में पुरूष की तरह ही अच्छाई ओर आध्यात्मिकता की अंतःशक्ति को देखा था

**वास्तव में,** बौद्ध धर्म ने महिला मुक्ति और महिला समानता के आदर्श को समाज के सामने रखा। बौद्ध धर्म में जिस बिहार व्यवस्था की स्थापना की गई वह भी महिला –पुरूष समानता का आदर्श प्रस्तुत करता था। प्रायः महिलाओं के लिए उनका बिहार जीवन पुरूषों के लिए उपलब्ध आत्मनिर्णय और प्रतिष्ठा के लगभग बराबर था। भिक्षुणी संघ की स्थापना, भिक्षु संघ की स्थापना के पॉच वर्ष बाद की गई। इस संघ की स्थापना के प्रारंभिक चरणों में भिक्षुणिओं ने बौद्ध भिक्षुओं से ही अनुशासनिक कार्यो के विभिन्न रूपों के साथ–साथ ज्ञान के विभिन्न पक्षों को सीखा था।

**जब** भी बुद्ध को अवसर प्राप्त होता था वे महिलाओं के अधिकारों और समानता के सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त करते रहते थे। उन्होंने एक अवसर पर पसेनदि को जो शब्द कहे थे उससे भी महिला समानता के संबंध में उनके विचार स्पष्ट हो जाते है। पसेनदि यह समाचार सुनकर अत्यन्त दुखी हुआ था कि उसकी पत्नी ने पुत्री को जन्म दिया है। उसने अपने मन की बात बुद्ध को बतायी। इसपर बुद्ध ने उसे समझाते हुए कहा था – "पुत्री, ज्ञानी और गुणी बनकर पुत्र से भी अच्छी संतान सिद्ध हो सकती है।" यह ज्ञात हो जाने पर कि महिलायें धार्मिक जीवन अपनाने की पूरी क्षमता रखती है, आरम्भिक बौद्ध धर्म ने उन्हें पूर्णतया समानता का दर्जा प्रदान किया था। बौद्ध धर्म में इस बात के भी उदाहरण मिलते है कि यद्यपि महाप्रजापति गौतमी को बौद्ध संघ में शामिल किया गया पर साथ ही साथ 8 प्रतिबंध भी आरोपित किये गये। यहाँ इस बात का भी उदाहरण मिलता है कि बादत में बुद्ध को प्रिय शिष्य आनंद के पास जाकर बुद्ध के प्रवरता से सम्बद्ध प्रथम गुरू धर्म पर ढ़ील देने के लिए पूछते हुए दिखाया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि भिक्षुणियों ने अपने आपको आलोच्य अवधि में सफलतापूर्वक व्यवस्थित कर रखा था। महाप्रजापति गौतमी के बारे में कहा जाता है कि वे महिलाओं का नेतृत्व करती हैं जो बौद्ध के भिक्षुओं के समानान्तर चलती है। यहाँ यह प्रसंग उल्लेखनीय है कि प्रारम्भ में बुद्ध द्वारा प्रजापति गौतमी पर कई प्रतिबन्ध लगाये गये थे लेकिन इसके बावजूद उन्होनें तथा उनकी शिष्याओं ने केश कटाये, कसाय अर्थात् गेरूआ वस्त्र पहने तथा वे बुद्ध के धर्म, और संघ का अनुसरण करती हुई दिखाई गई है। यहाँ महिलाओं के विद्रोही स्वरूप को प्रदर्शित किया गया है। जब आरम्भ में बुद्ध द्वारा उनकी माँग अस्वीकार कर दी जाती है, तब वे अपनी सखियों के पास आती हैं और आपस में विचार विमर्श करती हैं। इसके बाद वे कहती हैं "यदि बुद्ध ने आज्ञा दी हो तो हम धर्म मार्ग पर चलेगी और यदि न दी तब भी हम यही करेंगी।

**उपर्युक्त** वक्तव्यों और प्रसंगों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि बुद्ध स्त्री–पुरूष समानता के प्रबल समर्थकों में से एक थे। लेकिन उनके महापरिनिर्वाण के बाद बौद्ध धर्म में महिलाओं के प्रति पहले की तरह सम्मानपूर्ण भावना नही दिखाई देती है। महापरिनिर्वाणोत्तर काल के बौद्ध ग्रन्थों में महिलाओं को अपूर्ण, दुष्ट, नीच, कपटी, विश्वासघाती, अविश्वासी, चरित्रहीन, कामुक, ईष्यालु, लालची, बेलगाम, मूर्ख और फिजूलखर्चीली जैसी उपाधियों से विभूषित किया गया। इसी प्रकार बौद्ध संघ में महिलाओं की उपस्थिति को भारी त्रासदी के रूप में चित्रित किया गया है। और इनकी तुलना डकैतों द्वारा लूटे गये घर, फफूँद (सेताठिक) से ग्रस्त धान की फसल तथा लाल रोग (मांजेष्ठिका) से संक्रमित गन्ने की फसल से की गई। तापसिक नारी द्वेष जो पालि ग्रन्थ त्रिपिटक के अंतिम तह में पाया जाता है, का भी स्त्रियों के प्रति दृष्टिकोण शत्रुतापूर्ण और नाकारात्मक था।

उसे मानव जाति के पतन तथा आध्यात्मिक प्राणी की मृत्यु के लिए प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार माना गया। आलोच्य अवधि में महिलाओं की तुलना 5 प्रकार से की गई है – गुस्सैल, चिड़चिड़ी, द्विशाखित जुबानबाली (बोलने वाली), इतनी विषैली कि मार डाले तथा मित्रघातक। जातक ग्रन्थों में भी महिलाओं के प्रति अत्यन्त अपमानजनक बातें कहीं गई है। इनमें कहा गया है कि औरते सन्यासियों को उनके लक्ष्य से पथभ्रष्ठ कर देती हैं। चुल्ल–पदुम जातक में बोधिसत्व के माध्यम से बताया जाता है कि किस प्रकार उसनें अपनी प्यासी पत्नी का प्यास बुझाने के लिए अपने घुटने से रक्त (खून) निकालकर दिया और बदले में उसने उसकी हत्या करने की कोशिश की और ग्रन्थ में एक अन्य स्थान पर बोधिसत्व कहते हैं – भिक्षुओं! जब मैं जानवर के रूप में जीवन व्यतीत कर रहा था, तब भी मैं नारी जति की अकृतज्ञता, छल, दुष्टता और लंपटता के विषय में अच्छी तरह जानता था, और उस समय उनके नीचे रहने के बजाये मैंने उन्हें अपने नियंत्रण में रखा था। एक अन्य जातक

ग्रन्थ में यह कहा गया है – बोधिसत्व अपने पिता से कहते हैं – यदि औरतें इस घर में आती हैं तो मन की शांति न मुझे मिलेगी और न आपको।

**अब यह** प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि बुद्ध द्वारा उपदेशित धर्म जिसका आधार लैंगिक समानता था, में बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद महिलाओं के प्रति इतनी दुर्भावना क्यों प्रदर्शित की जाने लगी। ऐसा देखा जा सकता है कि बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद बौद्ध धर्म पर ब्रहाण धर्म (हिन्दू धर्म) का प्रभाव बढ़ने लगा। बौद्ध धर्म में तपस्वीकरण, ब्राह्मणीकरण, मंत्रीकरण और मूर्तिपूजा जैसी बातों को अपनाया जाना इसी बात को सिद्ध करता है। यहाँ यह तथ्य ध्यान देने का है कि प्राचीन भारतीय समाज पुरूष प्रधान था। (यद्यपि प्रारंभिक वैदिक ग्रन्थों मे महिलाओं को पुरूषों के समान माना गया था, उनकी प्रशंसा की गई थी, पर कालान्तर में उनकी स्थिति, दयनीय हो गई।जिन लोगों ने ब्रह्माण धर्मानुयायी थे। ऐसा प्रतीत होता है कि वे अपनी पुरूषवादी सोच को पूरी तरह नहीं छोड़ पाये थे। जबतक बुद्ध जीवित रहे, उनके व्यक्तित्व के सामने ये लोग चुप रहे और अपने विचारों को व्यक्त नहीं कर सके। लेकिन बुद्ध जैसे महान व्यक्तित्व के अभाव में आक्रामक पुरूष प्रधान प्राचीन भारतीय समाज के प्रभाव से ये अपने को नही बचा सके। प्राचीन भारत की सामाजिक व्यवस्था में कार्यरत पितृसत्तात्मक समाज में पुरूषों को सामान्य तथा महिलाओं को इसका अपवाद माना गया था। इस व्यवस्था ने पुरूषों को समाज द्वारा मूल्यवान मानी जानेवाली सभी स्थितियों को धारण करने हेतु वैध स्वामी माना, जबकि महिलाओं को पुरूषों द्वारा अपनी स्थिति कायम रखने हेतु मौन सहमति देने वाली सहायिका के रूप में देखा। अन्य शब्दों में यह कहा जा सकता है। कि पुरूषों को महिलाओं पर नियंत्रण की शक्ति प्राप्त थी। साथ ही साथ धार्मिक, समाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्रियाकलापों पर पुरूषों का एकाधिकार था। जब बौद्ध धर्म पर इन बातों का प्रभाव पडना शुरू हुआ तो महिलाओं के प्रति उनका दृष्टिकोण भी परिवर्तित होने लगा। यही कारण था कि बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद बौद्ध संघ एक ऐसी संस्था के रूप में स्थापित हो गया जिस पर एक बड़े शक्तिशाली पितृसत्तात्मक सत्ता का प्रभुत्व था। इसी तरह की मानसिकता वाले लोगों द्वारा कालान्तर में बौद्ध साहित्य का सम्पादन और संशोधन किया गया ओर उन्होने महिलाओं को अपूर्ण, दुष्ट नींच, कपटनी, अविश्वासी, कामुक जैसी उपाधियों से विभूषित किया। इसी दृष्टिकोण के कारण धीरे–धीरे महिलाओं को हीन समझा जाने लगा।

महिलाओं की स्थिति के प्रति दृष्टिकोण पर विचार करते समय यह तथ्य भी महत्वपूर्ण हो सकता है कि प्राचीन भारतीय बौद्ध साहित्य में पाये जाने वाले महिला विरोधी वक्तव्य और कथन बौद्ध बिहार के विशिष्ट वर्ग के उन सदस्यों द्वारा जोडा गया क्षेपक हो सकता है जिनके महिलाओ के प्रति रूख का विभिन्न ऐतिहासिक परिस्थितियों ने आकार प्रदान किया। ऐसा भी प्रतीत होता है कि त्रिपिटक का बहुत बडा भाग तृतीय बौद्ध संगति के बाद संकलित किया गया। त्रिपिटक में बार–बार होने वाले संशोधनों के कारण भी महिलाओं के संबंध व्यक्त किए जाने वाले विचारों में विविधता मिलती है। भिक्षुणी संघ की स्थापना तथा बौद्ध धर्म में महिलाओं के प्रवेश के संबंध में परस्पर विरोधी मत एक ही गन्थ में देखे जा सकते हैं। इसमें गौतम बुद्ध यह स्वीकार करते हैं कि महिलायें निर्वाण के उच्चतम लक्ष्य को प्राप्त कर सकती हैं। साथ ही साथ यह भी कहते है कि दुर्भाग्यवश भिक्षुणी संघ की स्थापना दीक्षा प्राप्त करने की आज्ञा न दी जाती तो बौद्ध धर्म एक हजार वर्ष तक जीवित रहता, लेकिन अब क्योंकि महिलाओं ने दीक्षा प्राप्त कर ली है, बौद्ध धर्म जीवन अधिक समय तक नहीं चलेगा केवल 500 वर्ष इस आधार पर यह कहना ज्यादा युक्ति संगत होगा कि बुद्ध, जिनके दृष्टिकोण का आधार ही सामाजिक समानता थी, वे ऐसे विचार क्यों व्यक्त करेंगे। ऐसा प्रतीत होता है कि बुद्ध महापरिनिर्वाण के बाद इस प्रसंग को एक क्षेपक के रूप मे जोड़ा गया।

**बौद्ध** ग्रन्थों में बार–बार विचारों में जो भिन्नता दिखाई देती है उसे ठीक ढंग से समझने के लिए हमें उस विशेष सांस्थानिक या बौद्धिक संदर्भ की पहचान कर लेनी चाहिए जिसमें से इस प्रकार के प्रत्येक विचार का उद्भव हुआ है। कट ब्लेकस्टन ने लिखा है कि बौद्ध धर्म में स्त्रियों के प्रति द्वेषभाव इस तथ्य की उपज था कि महिलाओं की दीक्षा को धर्म और विनय के लिए एक गम्भीर और अपरिहार्य खतरे के रूप में देखा गया। डायना पॉल ने बौद्ध ग्रन्थों में वर्णित स्त्रियों के द्वेषभाव को उस भारतीय सन्दर्भ में देखा है जिसमें उसका विकास हुआ था। जैनिस विल्लिस ने लिखा है कि आज हम पालि ग्रन्थों मे तथ्यों से महायान ग्रन्थों में वर्णित तथ्यों पर ध्यान देते हैं तो यह पाते है कि इनमें महिलाओं के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाया गया है।

ऐसा प्रतीत होता है कि बाद में (महापरिनिर्वाणोत्तर काल के) बौद्ध भिक्षुओं ने यह अनुभव किया हो कि पुरूष प्रधान प्राचीन भारतीय समाज में उनकी शिष्यायें निरन्तर प्रताड़ित या अपमानित की जायेंगी या वे पुरूष हिंसा का शिकार बनने लगेंगी। यह भी एक कारण रहा होगा कि बौद्ध संघ मे स्त्रियों या भिक्षुणियों पर कई प्रतिबंध लगाए गए थे। उस समय बौद्ध बिहार मानव बस्तियों के बाहर बनाये जाते थे। ऐसी स्थिति में बौद्ध भिक्षुणियों को यौन प्रताड़ना की सम्भावना बनी रहती होगी। एक दृष्टांत के द्वारा इसे सिद्ध किया जा सकता है। एक बार कई भिक्षुणियाँ कौशल प्रदेश से श्रावस्ती जा रही थी। एक भिक्षुणी मल–मूत्र त्यागना चाहती थी, अतः वह अकेले ही पीछे ठहर गई। उस भिक्षुणी को अकेले देखकर लोगों ने उसके साथ यौन सम्बन्ध स्थापित कर लिया। इस बात के भी प्रमाण मिलते हैं कि उस समय भिक्षुणियों को तरह–तरह से तिरस्कृत किया जाता था। भिक्षुणियो द्वारा छोटी सी गलती हो जाने पर भी लोग उन्हें "सिर मुंडी वेश्याएँ कहकर तिरस्कृत करते थे। जबकि भिक्षुओं द्वारा गलती किये जाने के बावजूद उनके लिये इतने अपमानजनक शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता था। यही कारण था कि भिक्षुओं का अपेक्षा भिक्षुणियों के लिए ज्यादा कड़े नियमों का निर्माण किया गया । यही कारण था कि बौद्ध संघ जैसे–जैसे विकसित होता गया उसने अपने चरित्र को बाहरी समाज के अनुसार ढालना शुरू कर दिया। इस नये हो रहे परिवर्तन का अर्थ यह था कि महिलायें धर्म को पूर्णकालिक विषय के रूप में तो स्वीकार कर सकती है। लेकिन यह कार्य एक ऐसे नियंत्रित संस्थागत ढॉचे के भीतर होगा जो पुरूष प्रधानता और महिला अधीनीकरण को पारस्परिक रूप से स्वीकृत समाजिक मानकों द्वारा सुरक्षित और सशक्त बनाता हो।

तथा उनपर लगाए गए 8 प्रतिबन्ध भी काल्पनिक ही हैं। यहॉ यह तथ्य उल्लेखनीय है कि महाप्रजापति गौतमी ने अपने पति की मृत्यु के बाद प्रवज्या प्राप्त की थीं, उस समय तक अनेक महिलायेंब ुद्ध उपसम्पदा प्राप्त कर चुकी थीं। आइ0बी0 हार्नर के पतन की भविष्यवाणी करना बाद के भिक्षुओं द्वारा कल्पित कहानी ही मानी जा सकती है।

**कुछ** आलोचको का यह भी कहना है कि बुद्ध ने अपनी पत्नी का परित्याग किया था। यह परित्याग उनके स्त्री विरोधी दृष्टिकोण को ही प्रदर्शित करता है। लेकिन बुद्ध की इस तरह आलोचना करना ठीक नहीं है क्योंकि जब उन्होनें प्रारम्भ में ब्राहाणवाद की परम्पराओं का अनुसरण करते हुए सांसारिक जीवन का परित्याग किया था। इस अवधि में आध्यात्मिण ज्ञान की प्राप्ति के लिए तीन चीजों का परित्याग करना अनविार्य माना जाता था। ये वस्तुएँ थीं –धन, स्त्री और प्रतिष्ठा। अतः इस आधार पर बुद्ध को स्त्री विरोधी नहीं माना जा सकता है।

**इस** प्रकार बुद्ध के दृष्टिकोण और उनके स्त्रियों को पुरूषों के समकक्ष माना था। उनके बाद के बौद्ध ग्रन्थों में जो विचार व्यक्त किये गये हैं, वे पूर्ण रूप से सत्य नहीं है। व्यवहार में हम यह पाते है एक ही ग्रन्थ में (जैसे त्रिपिटक) में एक स्थान पर स्त्रियों की आलोचना की गई है, उसी ग्रन्थ में अन्य जगह स्त्रियो ं के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण व्यक्त किया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि बाद में बौद्ध धर्म पर ब्राह्मण धर्म का प्रभाव पड़ने लगा था ओर उन्होने बहुत सी ब्राह्मणवादी धर्म की विशेषताओं (बातों) को अपना लिया। कालान्तर में बौद्ध भिक्षुणियों पर जो प्रतिबन्ध लगाये प्रतिबंधों को उस प्राचीन भारतीय सामाजिक परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए, जिसमें उनका विकास हुआ। अशोक की पुत्री संघमित्रा के दृष्टांत के आधार पर यह कहना भी युक्तिसंगत होगा कि महापरिनिर्वाणोत्तर काल में भी भिक्षुणियों को पर्याप्त महत्व प्राप्त था। सघमित्रा, महान मौर्य शासक अशोक की पुत्री थी। उसने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था। संघमित्रा को श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए भेजा गया था। यह इस बात का संकेत है कि एक महिला बौद्ध पदानुक्रम में अपने स्थान बना सकती है और इससे यह भी सिद्ध हो जाता है कि कम से कम अशोक के शासनकाल तक बौद्ध सिद्धान्त

में ऐसा कुछ भी नहीं था जो महिलाओं को पुरूषों के बराबर माने जाने पर प्रतिबन्ध लगा पाता। पुनः बौद्ध भिक्षुणियों द्वारा थेरीगाथा जैसी अद्वितीय ग्रन्थ की रचना किया जाना भी इसी बात को सिद्ध करता है कि बौद्ध भिक्षुणियों को बौद्ध धर्म में पर्याप्त समानता और स्वतंत्रता का वातावरण प्रदान किया गया था। थेरीगाथा, बौद्ध गीत संग्रह है जिसकी रचना लगभग सौ बौद्ध भिक्षुणियों ने मिलकर की थी। बौद्ध ग्रन्थ त्रिपिटक जो पालि भाषा में है, कई स्थानों पर महिलाओं की प्रशंसा की गई है (जैसा कि खेमा के बारे में कहा गया है कि जब उसकी शिक्षा पूरी हुई तबतक वह धर्म के पूर्ण ज्ञान के साथ अर्हत्व प्राप्त कर चुकी थी। स्वयं बुद्ध ने उसे उच्च स्थान प्रदान किया था।) किसा गौतमी ने भी बुद्ध द्वारा दिए गए उपदेश को समझने के बाद अर्हत्व प्राप्त किया। आनन्द के उपदेश को सुनकर भिक्षुणी समा ने अर्हत् का पद प्राप्त किया था। भिक्षुणी मुक्ता के बारे में कहा गया कि उसने पुनर्जन्म और मृत्यु से भी मुक्ति प्राप्त कर ली थी। ये सभी दृष्टांत यह सिद्ध करते है कि बुद्ध ने महिलाओं को पुरूषों के समकक्ष मानते हुए उन्हें स्वयं ही दीक्षित किया था।

**बौद्ध** धर्म में महिलाओं की स्थिति के संबंध में कुछ निष्कर्ष बौद्ध धर्म के सिद्धान्तों के आधार पर भी निकाले जा सकते है। बौद्ध धर्म के सिद्धान्तों में अहिंसा, करूणा, श्रद्धा, दूसरों के प्रति व्यवहार मे समानता और उचित व्यवहार जैसी बातें प्रमुख थीं। स्वयं बुद्ध ने कहा था 'कोई किसी को धोखा न दें', किसी स्थान में किसी से घृणा न करें तथा क्रोध या प्रतिकारवश किसी को क्षति पहुँचाने की इच्छा न करें। समस्त प्राणी प्रसन्न, सुखी, सुरक्षित और प्रसन्नचित हो। इस दृष्टांत के आधार पर यह तो अवश्य कहा जा सकता है कि जिस धर्म का आधार ही मानवीयता और करूणा हो, वहाँ स्त्रियों को हीन दृष्टि से कैसे देखा जा सकता है।

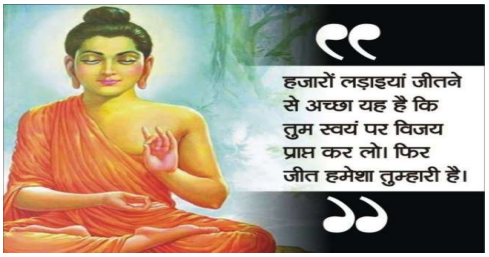


**निष्कर्ष** के रूप में यह कहा जा सकता है कि बौद्ध धर्म में स्त्रियों को पुरूषों के समकक्ष माना गया था। यद्यपि बाद के बौद्ध ग्रन्थों में स्त्रियों के प्रति दुर्भावना को व्यक्त किया गया है। संभवतः इसका कारण बौद्ध धर्म पर ब्राह्मण धर्म का बढ़ता हुआ प्रभाव और बुद्ध जैसे आकर्षक और महान व्यक्तित्व का अभाव रहा होगा।

## संदर्भ सूची –

1. **इंटरनेट सर्चिंग**
2. वेदांत दर्शन– मुक्त ज्ञान कोष, विकीपीडिया
3. अध्यात्म एवं विज्ञान–प्रोफेसर महावीर स्मरण जैन का आलेख, पृ. 39–43
4. वेदांत दर्शनः सभी धर्मो का सार तत्व–दैनिक देशबंधु
5. स्वामी विवेकानंद का 11 सितंबर 1893 को शिकागो धर्म सम्मेलन का विश्व प्रसिद्ध भाषण।
6. शरण, परमात्मा, प्राचीन भारत में विचार एवं संस्थाएँ, मीनाक्षी प्रकाशन, मेरठ पृ0 21
7. तिवारी, भरत कुमार, विवेकानंद का दार्शनिक चिंतन, भारतीय भाषापीठ, नई दिल्ली 1988, पृ.92।

डॉ. रेनू चौहान
असिस्टेन्ट प्रोफेसर , एस.बी.डी. (पी.जी.) कॉलेज, धामपुर बिजनौर।